EAST CENTRAL RAILWAY

Office Of The
GM(OPTG)
Hajipur

No.ECR/Optg. Safety /AM/CS/02/505

Date: 06.05.2022

Divisional Railway Manager
East Central Railway,
DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ

Sub: Correction Slip No. 06 to General & Subsidiary Rule Book of ECR, English & Hindi Edition –2018

Correction Slip No. 06 to General & Subsidiary Rule Book, Edition –2018 of East Central Railway is issued in English & Hindi version and being sent for necessary compliance.

Divisions are requested to ensure immediate circulation of its copies in sufficient number for updating G&SR book and implementing the same with immediate effect.

DA:- As above.

06/05/2022
(Rajpati Jha)
Dy.COM/Gen.
ECR/HJP

Copy to:-

1. Advisor Safety Rly. Board/New Delhi.
2. Secy. to GM – for kind information of GM/ECR.
3. Dy.Secy. to AGM for kind information of AGM/ECR.
4. P CSO, PCCM, PCE, PCEE, PCME, PCSTE, CELE, CME/Diesel & Disaster Management/ECR.
5. PCOM – ER, SER, NER, NCR, NFR.
6. CAO-North/MHX.
7. CAO- South/MHX.
8. Sr. DOM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ.
9. Sr. DSO- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ.
10. Principal– ZRTI/MFP.
11. Principal– ZRTI/ Bhuli/DHN.
12. Principal– DTC/DHN, DNR, DDU & SPJ.

EAST CENTRAL RAILWAY

[Note:-Last Correction Slip No. 05 dated 03.11.2021]

CORRECTION SLIP No. 06

(GR & SR Book – 2018)

The following corrections containing only 04 items have been made in GR & SR book - 2018 and being sent for necessary compliance.

ITEM No. 01

Delete the existing Sub-rule (1) and (2) of GR. 1.01 on page no. 1 and substitute the following in its place- 'SHORT TITLE AND COMMENCEMENT':

(1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (First Amendment) Rules, 2022

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

C/S No. 06 to ECR/GR & SR- 2018, dated: 02.05.2022

ITEM No. 02

Delete the existing GR. 4.35 on page no. 135 - 136 and substitute the following in its place -

4.35 STARTING OF TRAINS:

(1) A Loco Pilot shall not start his train from a station without the authority to proceed. Before starting the train, he shall satisfy himself that all correct fixed signals and, where necessary, hand signals are given and the line before him, is clear of visible obstructions and the Guard has given the signal to start. Guard shall see, before giving the starting signal, that all is right for the train to proceed.

(2) The Station Master and Guard may be assigned any role or duty to ensure the safety in the manner as specified by special instructions.

(3) The Guard shall not give the signal for starting unless he has satisfied himself that, except in accordance with special instructions, no person is travelling in any compartment or vehicle or roof of the vehicle not intended for the use of passengers.

(4) In case of any travelling in contradiction to Sub-rule (3), the Guard, Loco Pilot or Assistant Loco Pilot shall take help, if necessary from Government Railway Police, Railway Protection Force and Station Staff to remove the unauthorised person from the compartment or vehicle or roof of the vehicle.

[Authority: Gazette Notification by Govt. of India under G.S.R 195(E) Dated 14.03.2022 and Rly. Bd's letter No. 2020/Safety (A&R)/19/17 dated 14.03.2022]

C/S No. 06 to ECR/GR & SR- 2018, dated: 02.05.2022

Scanned with CamScanner

ITEM No. 03

Delete the existing SR. 4.35 (1) & (2) on page no. 136, 137 and substitute the following in its place-

SR. 4.35:

(1) SM before dispatching a train to next station shall ensure that all formalities in connection with an outgoing train have been completed which are as under-

(a) All points have been correctly set and facing points, if any, locked.

(b) Line clear has been obtained from the station in advance.

(c) Correct departure signal (s) (if any) has been taken 'OFF' or/and written/tangible authority (as the case may be) has been sent to the Loco Pilot.

Note :- (1) *In Automatic section, running of trains are governed by the aspect of signals. SM shall take 'OFF' departure signal after ensuring that conditions for taking 'OFF' the signal are fulfilled. Loco Pilot/Motorman shall not start his train unless signal pertaining to his train is taken 'OFF'/authority to pass at 'ON' is received.*

Note:- (2) *At terminal, Junction, Engine changing and refreshment room stations, announcement through public address system shall be made two minutes before the starting time of passenger carrying trains. This announcement shall be made either by the Station Master himself or by any person authorized in this behalf.*

(2) Starting of Passenger Trains:-

(i) It must be clearly understood that delivery of authority to proceed to the Loco Pilot (where such is required) or taking 'Off' the Last Stop signal is not in itself a permission to start a train. The Guard's signal to the Loco Pilot to start the train is the blowing of whistle and by waving a green flag by day and green light by night horizontally at full stretch of the arm above his head. In case of EMU/MEMU/DEMU, sounding of prescribed bell code i.e. 00 bells by the Motorman and acknowledged by the Guard shall be the permission to start the train.

(ii) The Loco Pilot shall not start the train till he receives the Guard's signal provided that he has also received the authority to proceed after the point (s) for the route is/are properly set for his train and signal (s), if any, is/are taken 'OFF'.

(iii) The Guard shall not give starting signal for starting the train unless he has satisfied himself that no person is travelling in any compartment or vehicle or roof of the vehicle not intended for the use of passengers.

(iv) In case of any travelling in contradiction to Sub-rule (3) of GR. 4.35, the Guard, Loco Pilot or Assistant Loco Pilot shall advice the Station Master and take help, if necessary, from Government Railway Police (GRP), Railway Protection Force (RPF) and Station Staff to remove the unauthorized person (s) from the compartment or vehicle or roof of the vehicle.

(3) Starting of Goods Trains :-

(i) When authority to proceed has been received by the Loco Pilot, either a tangible authority or taking 'Off' of the Last Stop Signal/Starter signal (as the case may be), the Loco Pilot or Assistant Loco Pilot will obtain permission from Guard to start the train advising him through the prescribed code of whistle i.e. two short whistle.

(ii) The Guard after ensuring that his train is in a safe condition to start, shall give his permission to start the train by waving a green flag by day or green light by night horizontally at full stretch of the arm above his head.

(iii) In case where such starting signal displayed by the Guard cannot be visible to the Loco Pilot, walkie – talkie sets may be used as per the stipulations of SR. 14.01.

Scanned with CamScanner

(4) Starting of trains in case of Cyclonic Storm, Earthquake or any other apprehended danger:-

(i) When the Station Master apprehends danger through a cyclonic storm, earthquake or any other unsafe condition, they are authorized to detain trains, if considered necessary after consultation with the Loco Pilot and Guard, until the apprehended danger has passed or abated. When trains are detained for this reason, an entry in red ink should be made by the Station Master in the Station Diary and in TSR with intimation to Control for onward intimation as required.

(ii) In the event of conditions mentioned in (i) above prevailing at the station apprehending danger to the safety of passenger/trains, the Station Master may refuse to grant Line Clear to the incoming train.

(iii) Station Master may detain a passenger carrying train/Mixed train in consultation with the Loco Pilot and Guard, if there is a reasonable doubt that a severe storm or earthquake or any major unusual is likely to happen and that may endanger the safety of the train/passengers.

(iv) In case of Cyclonic Storm, windows and doors of the coaches should be kept open if not already in such condition, to allow free passage of the breeze through the coaches. The Guard and Loco Pilot of the train in co-operation with passengers must ensure that doors and windows of the train are kept open without fail.

(v) In such conditions, a train must not be allowed to start until it is considered safe to proceed in consultation with Loco Pilot and Guard of the train. If required, necessary certificate may be obtained from the authority concerned.

(vi) Despite above instructions, if a train be still caught on the run in a severe storm or earthquake or any major unusual etc. which in the opinion of the Loco Pilot or Guard of the train is likely to endanger the safety of the train or passengers, the train should immediately be brought to a halt, taking care that such stoppage at places like sharp curve, high embankment, cutting and bridge is avoided. The doors and windows should be kept open in the same manner as mentioned above in para (iv) at the spot where the train halts.

(vii) In above cases, the train should be re-started only after being satisfied that it is now safe for the train as well as passengers to proceed and before starting, the Loco pilot shall consult the Guard and obtain his permission to start.

(5) Guard to repeat signal to banking engine Loco Pilot :- On sections of the line where banking engine are employed, the Guard in-charge of a train after giving the starting signal to the Loco Pilot shall immediately repeat the signal to the bank pilot's Loco Pilot in rear.

(6) Train stopped for Precedence:-

Whenever a train is controlled at a station for giving precedence, Station Master on duty shall inform to Loco Pilot about the stoppage of his/her train for giving precedence to another train and that onward movement of his/her train will be informed.

Stipulations made under SR. 14.01 shall be followed and the Station Master or Loco Pilot while communicating on Walkie – Talkie will clearly mention his/her identity along with station name/ train no. and also confirm the identity of the speaker at the other end.

Note :- Above provisions also be incorporated in Station Working Rule (SWR).

C/S No. 06 to ECR/GR & SR- 2018, dated: 02.05.2022

Scanned with CamScanner

ITEM No. 04

Correct the following printing errors as indicated below-

1. On page no. 143, in SR. 4.50 (A), Sl. No. 4 (b), the existing sentence to be corrected and read as – *Before starting engine or a train from station / mid-section.*

C/S No. 06 to ECR/GR & SR- 2018, dated: 02.05.2022

---

2. On page no. 146, in SR. 4.51, Sl. No. 2 (a), indication appearing as 'Stop train' to be corrected and read as – *Start train.*

C/S No. 06 to ECR/GR & SR- 2018, dated: 02.05.2022

---

3. On page no. 12, in SR. 2.11 (2) NOTE: , correct SR. 4.35 (1) and read as - SR. 4.35 (4).

C/S No. 06 to ECR/GR & SR- 2018, dated: 02.05.2022

All concerned will correct GR & SR book of East Central Railway, Edition-2018 accordingly and the same shall brought to the notice of all officials concerned.

(Salil Kumar Jha)
Principal Chief Operations Manager
ECR/Hajipur

No. ECR/Optg. Safety/ G&SR/24/505, Dated: 02.05.2021

Scanned with CamScanner

पूर्व मध्य रेल

[नोटः-अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 05 दिनांक 03.11.2021]

संशोधन पर्ची संख्या - 06

(सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 2018)

04 मदों सहित निम्नलिखित संशोधन सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक- 2018 में किए गये हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहें हैं।

मद सं0 - 01

पृष्ठ संख्या 1 पर वर्तमान सामान्य नियम 1.01 का उप-नियम (1) और (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

'संक्षिप्त नाम और प्रारंभ':

(1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा ।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

मद सं0 - 02

पृष्ठ संख्या 157 पर वर्तमान सामान्य नियम 4.35 को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

4.35: गाड़ियों का प्रस्थान :-

(1) लोको पायलट प्रस्थान प्राधिकार के बिना स्टेशन से अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा । गाड़ी के प्रस्थान से पहले, वह इस बात का समाधान करेगा कि सभी सही स्थावर सिगनल और, जहाँ आवश्यक है, वहाँ हैंड सिगनल दे दिए गए हैं और उसके सामने, लाइन पर कोई प्रत्यक्ष अवरोध नहीं है तथा गार्ड ने प्रस्थान के लिए सिगनल दे दिया है । गार्ड, प्रस्थान सिगनल देने से पहले, यह देख लेगा कि गाड़ी को आगे चलाने के लिए सब कुछ ठीक है ।

(2) स्टेशन मास्टर और गार्ड को विशेष अनुदेशों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी भूमिका या ड्यूटी सौंपी जा सकती है ।

(3) गार्ड, गाड़ी के प्रस्थान के लिए सिगनल तब तक नहीं देगा जब तक इस बात का समाधान नहीं हो जाता कि विशेष अनुदेशों के अनुसार के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसे डिब्बे या वाहन या वाहन की छत पर यात्रा नहीं कर रहा है, जो यात्रियों के प्रयोग के लिए नियत नहीं है ।

(4) उप-नियम (3) के विपरीत किसी यात्रा के मामले में, गार्ड, लोको पायलट या सहायक लोको पायलट, यदि आवश्यक हो, किसी डिब्बे या वाहन या वाहन की छत से किसी अधिकृत व्यक्ति को हटाने के लिए राजकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल और स्टेशन कर्मचारियों से सहायता लेगा ।

[प्राधिकारः- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 195 (अ) दिनांक 14.03.2022 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/ संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/17 दिनांक 14.03.2022]

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

Scanned with CamScanner

मद सं0 - 03

पृष्ठ संख्या 158 से 160 पर वर्तमान सहायक नियम 4.35 (1) एवं (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

सहायक नियम - 4.35:

(1) स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन गाड़ी भेजने से पहले सुनिश्चित करेगा कि खुलने वाली गाड़ी से संबंधित सारी औपचारिकताए पूरी कर ली गई है जो निम्नवत है -

(क) सभी प्वाइंट्स उचित रूप से सेट तथा यदि कोई फेसिंग प्वाइंट हो तो उसे तालाबंद कर दिया गया है ।

(ख) अगला स्टेशन से लाईन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है ।

(ग) सही प्रस्थान सिगनल (लों), यदि कोई हो, 'ऑफ़' कर दिया गया है, या / और लिखित / मूर्त प्राधिकार (जैसा कि मामला हो) लोको पायलट को भेज दिया गया है ।

नोट :- (1) *ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ियों का चलना के संकेत (aspect) से शासित होता है। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात कि प्रस्थान सिगनल को 'ऑफ़' करने की शर्त पूरी कर ली गयी है, तभी प्रस्थान सिगनल 'ऑफ़' किया जायेगा । लोको पायलट / मोटरमैन अपनी गाड़ी तब तक नहीं खुलायेगा जब तक उनकी गाड़ी से सम्बंधित सिगनल 'ऑफ़' न कर दिया गया हो / इसे 'ऑन' में पास करने का प्राधिकार न प्राप्त हो गया हो ।*

नोट :- (2) *टर्मिनल, जंक्शन, इंजन बदलाव वाले स्टेशन तथा रिफ्रेशमेंट रूम वाले स्टेशनों पर जन सम्बोधन प्रणाली द्वारा यात्री वाहक गाड़ियों के प्रस्थान से दो मिनट पहले उद्घोषणा की जाएगी । यह उद्घोषणा या तो स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं या इसके लिये प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।*

(2) सवारी गाड़ियों का प्रस्थान :-

(i) यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार का सौंप दिया जाना (जहाँ यह आवश्यक हो) अथवा अंतिम रोक सिगनल 'ऑफ़' कर दिया जाना ही अपने आप में गाड़ी खुलाने की अनुमति नहीं है । लोको पायलट को गाड़ी खुलाने के लिये गार्ड द्वारा दिया जाने वाला सिगनल सीटी बजाना एवं दिन में क्षैतिज रूप में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती क्षैतिज रूप में सिर के उपर जहाँ तक हाथ जाता हो वहाँ तक ऊपर कर हिलाया जाना है। ई.एम.यू./एम.ई..एम.यू./ डी.एम.यू. के मामले में मोटरमैन द्वारा बजाया गया निर्धारित घंटी कोड अर्थात 00 घंटी की प्राप्तिस्वीकृति गार्ड द्वारा दिया जाना गाड़ी खुलाने की अनुमति होगी ।

(ii) लोको पायलट गाड़ी तब तक नहीं खुलायेगा जब तक उसे गार्ड का सिगनल नहीं मिल जाता बशर्ते कि उसकी गाड़ी के लिये रूट के प्वाइंट (टों) को उचित ढंग से सेट करने के पश्चात उसे प्रस्थान प्राधिकार भी प्राप्त हो गया है और सिगनल (लों), यदि कोई हो, 'ऑफ़' कर दिया गया है ।

(iii) गार्ड, गाड़ी के प्रस्थान के लिये खुलाने का सिगनल तब तक नहीं देगा जब तक कि वह स्वयं यह आश्वस्त नहीं कर लेता है कि कोइ व्यक्ति किसी ऐसे डिब्बे या वाहन या वाहन की छत पर यात्रा नहीं कर रहा है, जो यात्रियो के उपयोग के लिये नियत नहीं है ।

(iv) सामान्य नियम 4.35 के उप-नियम (3) के विपरीत किसी यात्रा के मामले में, गार्ड, लोको पायलट अथवा सहायक लोको पायलट स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और यदि आवश्यक हो तो, डिब्बे या वाहन या वाहन की छत से किसी अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियो को हटाने के लिये राजकीय रेल पुलिस (जी.आर.पी), रेल सुरक्शा बल (आर. पी. एफ) और स्टेशन कर्मचारियों से सहायता लेगा ।

Scanned with CamScanner

(3) मालगाड़ियों का प्रस्थान :-

(i) जब लोको पायलट द्वारा प्रस्थान प्राधिकार, या तो मूर्त प्राधिकार या अंतिम रोक सिगनल/स्टार्टर सिगनल 'ऑफ़' किया जाना (जैसा कि मामला हो),प्राप्त कर लिया गया है तब लोको पायलट या सहायक लोको पायलट निर्धारित सीटी कोड अर्थात दो छोटी सीटी के माध्यम से गार्ड को सूचित कर गाड़ी खुलाने का अनुमति प्राप्त करेगा ।

(ii) गार्ड, यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि उनकी गाड़ी खुलाए जाने के लिये सुरक्षित स्थिति में है, गाड़ी खुलाने की अनुमति दिन में क्षैतिज रूप में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती क्षैतिज रूप में सिर के उपर जहाँ तक हाथ जाता हो वहाँ तक ऊपर कर हिलाकर देगा ।

(iii) ऐसे मामले में, जहाँ गार्ड द्वारा दिया गया इस प्रकार का प्रस्थान सिगनल लोको पायलट को दिखाई न देता हो तो सहायक नियम 14.01 में दिये गये शर्तों के अनुसार वॉकी-टॉकी सेट का उपयोग किया जा सकता है ।

(4) साइक्लोन तूफान, भूकम्प या आशंकित खतरे की स्थिति में गाड़ी का प्रस्थान :-

(i) जब स्टेशन मास्टर को साइक्लोन तूफान, भूकम्प या किसी अन्य असुरक्षित स्थिति की आशंका हो तो वे, यदि आवश्यक समझते हों तो लोको पायलट एवं गार्ड से विचार- विमर्श कर जब तक कि आशंकित खतरा टल नहीं जाता है या समाप्त नहीं हो जाता है, गाड़ियों को रोकने हेतु अधिकृत हैं । जब इस कारण गाड़ियां रोकी जाती हैं तो स्टेशन मास्टर द्वारा कंट्रोल को, आवश्यकतानुसार आगे की सूचना हेतु, सूचित करते हुए स्टेशन डायरी एवं ट्रेन सिगनल रजिस्टर में इसे लाल स्याही से दर्ज करना चाहिये ।

(ii) स्टेशन पर, ऊपर (i) में वर्णित यात्रियों /गाड़ियों की संरक्षा पर आशंकित खतरा पैदा करने वाली स्थिति में स्टेशन मास्टर आने वाली गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर देने से इंकार कर सकते हैं ।

(iii) स्टेशन मास्टर लोको पायलट एवं गार्ड से विचार- विमर्श कर यात्री वाहक गाड़ी/मिक्स्ड गाड़ी को रोके रह सकते हैं यदि तर्कसंगत आशंका हो कि भयंकर तूफान या भूकम्प या बड़ी असामान्य स्थिति होने वाली है जो गाड़ी/ यात्रियों के सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर सकती है ।

(iv) साइक्लोन तूफान आने की स्थिति में, सवारी डिब्बो के खिड़कियां एवं दरवाज़े खुले रखे जाएं, यदि पहले से खुले न हो, ताकि तेज़ हवा का झोंका सवारी डिब्बा के आर-पार बिना रोक-टोक पार कर सके । यात्रियों के सहयोग से ट्रेन का गार्ड एवं लोको पायलट अवश्य सुनिश्चित करे कि गाड़ी के खिड़कियां एवं दरवाज़े निश्चित तौर पर खुले रहें ।

(v) ऐसे में, गाड़ी को चलाने की अनुमति अवश्य ही तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड विचार-विमर्श कर गाड़ी का आगे बढ़ना सुरक्षित न समझते हों ।यदि आवश्यक हो तो सम्बंधित प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

(vi) उपरोक्त अनुदेशो के बावजूद यदि कोइ गाड़ी चलते समय भयंकर तूफान या भूकम्प या अन्य बड़ी असामान्य स्थिति आदि, जो गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड के विचार में ट्रेन या यात्रियो की संरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली हो तो गाड़ी को तुरंत रोक दिया जायेगा यह ध्यान रखते हुए कि ऐसा ठहराव तीखा मोड़, उंचा बांध, कटिंग एवं पुल जैसे स्थानों पर नहीं हो । वह स्थल जहाँ गाड़ी रोकी गई हो, ऊपर के पैरा (iv) में उल्लिखित तरीका से दरवाज़े एवं खिड़कियां खुले रखे जाएं, ।

(vii) उपरोक्त की स्थिति में, दुबारा गाड़ी तभी खुलाई जानी चाहिये जब यह आश्वस्त कर लिया गया है कि गाड़ी के साथ-साथ यात्रियो के लिये भी अब आगे बढ़ना सुरक्षित है एवं प्रस्थान करने से पहले लोको पायलट गार्ड से सम्पर्क करेगा और उसका अनुमति प्राप्त करेगा ।

Scanned with CamScanner

(5) **गार्ड द्वारा बैंकिंग इंजन के लोको पायलट को सिगनल दुहराना :-** रेलपथ के उन खंडो पर जहाँ बैंकिंग इंजन लगाये जाते हैं, गाड़ी का प्रभारी गार्ड लोको पायलट को प्रस्थान सिगनल देने के बाद शीघ्र ही पीछे के बैंक पायलट के लोको पायलट की ओर सिगनल दुहरायेगा ।

(6) **अग्रता (Precedence) हेतु रोकी गयी गाड़ी :-**

जब कभी किसी गाड़ी को किसी स्टेशन पर अग्रता (Precedence)हेतु रोकी जाती हो तो वहाँ कार्यरत स्टेशन मास्टर इसकी सूचना लोको पायलट को देगा कि आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी को अग्रता (Precedence)देने हेतु रोकी गई है एवं यह कि आपकी गाड़ी को आगे चलाये जाने के बारे में सूचित किया जाएगा ।

जब स्टेशन मास्टर या लोको पायलट वॉकी-टॉकी पर संवाद स्थापित करेगा तो सहायक नियम 14.01 के अधीन वर्णित शर्तो का पालन करेगा और अपनी पहचान हेतु स्टेशन का नाम/ गाड़ी संख्या स्पष्ट बतायेगा। साथ ही दूसरी ओर से बात करने वाले व्यक्ति के परिचय की भी पुष्टि करेगा ।

नोट:-उपरोक्त प्रावधानो को स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियम (SWR) में भी समाविष्ट (incorporate)किया जाए ।

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

मद सं0 - 04

1. पृष्ठ सं.14 पर सहायक नि. **2.11** के उप-नियम **(2)** का 'टिप्पणी' में वर्णित स.नि **4.35 (i)** को संशोधित कर स.नि **4.35 (4)** पढ़ें ।

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

---

2. पृष्ठ सं. 388 पर सहायक नियम 15.25 के उप नियम -3 का I. में छूटे हुए शीर्षक अर्थात **'टोकनलेस ब्लॉक यंत्र से काम होने वाले खंड पर :- '** को विवरण क्रम (ग) के नीचे जोड़ते हुए क्रम (घ), (ड) एवं (च) को संशोधित कर (क), (ख) एवं (ग) के रूप में पढ़ें।

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

---

3. सहायक नियम 16.03 में, पृष्ठ सं. 401 पर वर्तमान क्रम सं.(iii)(1), (2) एवं (iv) को संशोधित कर क्रमशः (iii), (iv) एवं (v) के रूप में पढ़ें।

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

---

4. सहायक नियम 16.03 में, पृष्ठ सं. 402 पर वर्तमान क्रम सं.(v), (vi) एवं (vii) को संशोधित कर (vi), (vii) एवं (viii) के रूप में पढ़ें।

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

---

5. सहायक नियम 16.03 में, पृष्ठ सं. 403 पर वर्तमान क्रम सं. (viii), (ix), (x) एवं (xi) को संशोधित कर (ix), (x), (xi) एवं (xii) के रूप में पढ़ें।

पू.म.रे./सामान्य एव सहायक नियम पुस्तक- 2018, संशोधन पर्ची संख्या -06, दिनांक : 02.05.2022

सर्व संबंधित पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक - 2018 को तदनूसार संशोधित करेंगे एवं इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को संसूचित करेंगे ।

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल

सं० ई.सी.आर./परि.संरक्षा/सा.एवं स. नि./24/505 दिनांक: 02.05.2022

Scanned with CamScanner